

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, वाडमेर

पीठासीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.) अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अशोक कुमार 2 हरीश कुमार  
3 हितेश कुमार पिसरान बोरीदास  
4 कमलादेवी पत्नी बोरीदास  
जाति सेवक निवासी बाडमेर  
तहसील व जिला बाडमेर।

1 सुनिल कुमार 2 मनोज कुमार पिसरान  
भवानीशंकर 3 नयना शर्मा पत्नी भवानीशंकर जाति  
सेवक निवासी खागल मौहल्ला बाडमेर 4 रामसिंह  
पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डखा  
तहसील व जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 35/2021

निर्णय दिनांक :- .....21.12.2023


वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.12.2023 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा बीदासर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 655 रकबा 0.02 बीघा व खसरा संख्या 656 रकबा 49.04 बीघा कुल रकबा 49.06 बीघा बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	अशोक 1/4 हरीश 1/4 हितेश 1/4 पिसरान बोरीदास, कमलादेवी पत्नी बोरीदास 1/4 कौम सेवक सा. देह खातेदार	656	3.9902	बा.दो.	1.475	लाल
2	रामसिंह पुत्र केशरसिंह कौम राजपूत सा. उण्डखा खातेदार सम्पूर्ण	656	0.9955	बा.दो.	-	हरा
3	मनोज कुमार 1/3 सुनिल कुमार 1/3 पिसरान भवानी शंकर, नयना पत्नी भवानी शंकर 1/3 कौम सेवक साकिन बाडमेर खातेदार	656	2.9785	बा.दो.	-	कबूतरी
4	अमित कुमार 1/4 मनोज कुमार 1/4 सुनिल कुमार 1/4 पिसरान भवानी शंकर, नयना पत्नी भवानी शंकर 1/3 कौम सेवक साकिन बाडमेर खातेदार	655	0.0162	गै.मु.	-	आसमानी

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 21.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(समदरसिंह भाटी)  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर,  
(एसडीओ) बाडमेर

## वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	